



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 172-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2017 (ASVINA 4, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 सितम्बर, 2017

संख्या 93/एस.टी.-2.— हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एस.टी.-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एस.टी.-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 2 के सामने, खाना (2) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“किसी व्यक्ति अधिवक्ता, जिसके अन्तर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की फर्म भी है, के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक सेवाओं के रूप में प्रदान की गई सेवाएं।

व्याख्या.— “विधिक सेवा” से अभिप्राय है, विधि की किसी शाखा में, किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा और इसमें किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सम्मिलित हैं।”।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th September, 2017

No: 93/ST-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.48/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise & Taxation Department, Notification No.48/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, under column (2) against serial number 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Services provided by an individual advocate including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly.

Explanation.- “legal service” means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority.”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.